न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 40 / 2021 प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांकः– 17.06.2021

1. शांतिलाल पिता भेरुलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।

– प्रार्थी

बनाम

1. वरजीबाई पत्नी नंदलाल जाति डांगी ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. वरदु पिता नाथु जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. भग्गु पिता नाम नामालुम जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी संतखण्डा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
4. जमनालाल पिता माणक चन्द्र जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी सीतारामजी का खेडा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
5. शम्भुलाल पिता शंकरलाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी सीतारामजी का खेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ राज0।
6. मदनलाल पिता किशना जाति लुहार आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा सतखण्डा प0ह0 सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 644 की आराजी नं0 1861 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नं0 403 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं0 404 रकबा 0.2500 हैक्टैयर, किता 3 कुल रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके वाके मौजा सतखण्डा प0ह0 सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 644 की आराजी नं0 1861 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नं0 403 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नं0 404 रकबा 0.2500 हैक्टैयर, किता 3 कुल रकबा 0.5200 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official